ीएसई के अनुसार, 10वीं-
य परिवर्तन की प्रक्रिया को
के लिए मानक संचालन
की गई है।
अनुसार, विषय में बदलाव
और अभिभावक ही अनुरोध
दि स्कूल वहीं है तो छात्र को
त्र के लिए पिछली कक्षा की
देनी होगी। मेडिकल आधार
बदलाव की सूरत में छात्र को
ताल के मेडिकल प्रमाणपत्र

प्रदर्शन रहा और स्कूल में उस विषय को पढ़ाने के लिए शिक्षक उपलब्ध है या नहीं। स्कूल को अपने स्कूल के विषय बदलाव के अनुरोध को संबंधित दस्तावेज के साथ 21 जुलाई तक बोर्ड को भेजना होगा।

अनुरोध में कमी पाए जाने पर बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय 20 अगस्त तक स्कूल को बताएगा। स्कूल को सभी कमियों को पूरा करने के लिए 27 अगस्त तक का समय दिया जाएगा। 15 सितंबर तक सीबीएसई इस पर अपनी मंजूरी दे देगा।

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली
ओल्ड सेंट स्टीफेंस कॉलेज बिल्डिंग, कश्मीरी गेट, दिल्ली-110006
हेल्पलाईन सं. 1800-111-400/1950;
वेबसाइट : www.ceodelhi.gov.in

सार्वजनिक सूचना

चुनाव के दिन और चुनाव से एक दिन पहले प्रिंट मीडिया में राजनैतिक विज्ञापन का पूर्व-प्रमाणन

एतदद्वारा आम जनता, मीडिया हाऊसेज, राजनैतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों का ध्यान भारत निर्वाचन आयोग के दिनांक 06/04/2019 के पत्र संख्या 491/एमसीएमसी/2019/कम्युनिकेशन की ओर आकर्षित किया जाता है जिसमें निम्नानुसार उल्लेख है कि:-

कोई भी राजनैतिक दल या उम्मीदवार या कोई अन्य संगठन अथवा व्यक्ति चुनाव के दिन और चुनाव से एक दिन पहले प्रिंट मीडिया में किसी विज्ञापन का प्रकाशन नहीं कराएगा जब तक कि राज्य स्तर/जिला स्तर पर, जैसा भी मामला हो, स्तर पर मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समिति (एमसीएमसी) से राजनैतिक विज्ञापनों की विषयवस्तु पहले प्रमाणित नहीं करा ली जाती।

इसके अलावा, यह भी सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में लोकसभा आम चुनाव 2019 दिनांक 12/05/2019 (रविवार) को प्रातः 07.00 बजे से सांय 06.00 बजे के बीच आयोजित होंगे।

इसे सभी संबंधितों के सूचनार्थ, मार्गदर्शन और अनुपालन हेतु जारी किया जाता है।

ह.
सतनाम सिंह
विशेष मुख्य निर्वाचन अधिकारी

DIP/Shabdarth/0076/19-20

भारत सरकार आयकर विभाग
Government of India Income Tax Department
कार्यालय प्रधान आयकर आयुक्त, आयकर भवन रोहतक-124001
O/o Pr. Commissioner of Income-tax, Aayakar Bhawan, Rohtak-124001

फा.सं.प्र.आ.आ./2019-20/760 दिनांक-09.05.2019

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आयकर विभाग, रोहतक, दिनांक 17.05.2019 को, आयकर कार्यालय में पड़े हुए स्क्रैप की बिक्री, खुली बोली द्वारा करेगा। इच्छुक व्यक्ति मौके पर पहुंच कर खुली बोली में भाग ले सकते हैं। स्क्रैप का निरीक्षण इच्छुक व्यक्तियों को 15.05.2019, अपराह्ण 1.00 बजे से अपराह्ण 3.00 बजे तक करवाया जाएगा।

बोली दाताओं को बोली से पूर्व 10,000/- रुपये का डिमांड ड्राफ्ट, ZAO, CBDT, Rohtak के नाम से सम्बंधित अधिकारी को जमा करवाना होगा। सफल बोलीदाता को स्क्रैप उठाने से पूर्व, बोली की सम्पूर्ण राशि डिमांड ड्राफ्ट द्वारा आयकर विभाग, ZAO, CBDT, Rohtak के नाम से जमा करवानी होगी। बाकि की शर्तें मौके पर सुनाई जाएंगी।

(रतन सिंह कौशिक)
आयकर अधिकारी (मुख्या.) (प्रशा.)
कार्या. प्रधान आयकर आयुक्त, रोहतक

प्राप्ति की अंतिम तिथि **15.05.2019** है।
(शशांक जायसवाल)
सहायक भविष्य निधि आयुक्त (लीगल)

सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी
SARDAR VALLABHBHAI PATEL NATIONAL POLICE ACADEMY
(भारत सरकार : गृह मंत्रालय) (Government of India : Ministry of Home Affairs)
हैदराबाद hyderabad-500 052

नं.15011/4/2016/ईएसटीटी/ए 2 दिनांक मई,2019

सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद-500052 में **अल्पकालिक अनुबंध सहित डेप्यूटेशन** द्वारा सहायक निदेशक (लॉ) के तीन पदों को भरने के लिए केन्द्रीय/राज्य सरकार/ संघ क्षेत्र प्रशासन/ सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/ मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों/विश्वविद्यालयों/ स्वायत/संवैधानिक संगठनों के तहत योग्य अधिकारियों से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

2. इस पद हेतु वेतन, अहार्य शैक्षणिक योग्यता, अन्य पात्रता मानदंडों और आवेदन प्रपत्र अकादमी की वेबसाईट **http://www.svpnpa.gov.in/vacancies.aspx.** पर उपलब्ध हैं। विधिवत भरे गए आवेदन प्रपत्र समर्थित दस्तावेजों के साथ रोजगार समाचारपत्र में इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से दो माह तक उचित चैनल के जरिये उप निदेशक (संस्था.), एसवीपी राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद-500052 के पास पहुंच जाने चाहिए।

(एस. अजीथा Ajeetha बेगम)
सहायक निदेशक (संस्था.)

IFCI LIMITED
आई एफ सी आई लिमिटेड
(A Government of India Undertaking)
(भारत सरकार का उपक्रम)

पंजीकृत कार्यालय: आईएफसीआई टावर, 61 नेहरु प्लेस नई दिल्ली-110019
फोन: 011-41732000 फैक्स: 011-26230201
वेबसाइट: www.ifciltd.com
CIN : L74899DL1993GOI053677

शेयरधारकों को सूचना

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 (6) के अधीन कम्पनी के इक्विटी शेयरों का निवेशक शिक्षा व सुरक्षा निधि प्राधिकरण (आईईपीएफ प्राधिकरण) में अन्तरण

यह सूचना एतद्द्वारा निवेशक शिक्षा तथा सुरक्षा निधि प्राधिकरण (लेखांकन, लेखा-परीक्षा, अन्तरण और वापसी) संशोधन नियम, 2017 ("नियम") के प्रावधानों के अनुसरण में दी जाती है। नियमों में, अन्य बातों के साथ-साथ, उन शेयरों को आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में अन्तरण करने के प्रावधान भी शामिल हैं, जिनके सम्बन्ध में लगातार 7 या उससे अधिक वर्षों से शेयरधारकों को लाभांश अदा नहीं किया गया और/या उनके द्वारा इसका दावा नहीं किया गया।

नियमों के प्रावधानों के अनुसार, कम्पनी ने सभी सम्बन्धित शेयरधारकों, जिनके शेयर आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में अन्तरित किए जाने हैं, को अलग-अलग सूचित कर दिया है। ऐसे शेयरधारकों के समुचित विवरण, कम्पनी की वेबसाइट **https://www.ifciltd.com/?q=content/unclaimed-investors** पर भी उपलब्ध हैं।

सम्बन्धित शेयरधारक, जिनके पास भौतिक रूप से शेयर हैं और जिनके शेयर आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में अन्तरित किए जाने हैं, वे नोट करें कि कम्पनी, नियमों के अनुसार, आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में ऐसे शेयरों के अन्तरण के उद्देश्य से उनके द्वारा धारित मूल शेयर प्रमाणपत्र के स्थान पर डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी कर रही है और इस अन्तरण के बाद उनके नाम पर पंजीकृत मूल शेयर प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त हो जाएंगे और बेचने योग्य नहीं रह जाएंगे। शेयरधारक यह भी नोट करें कि इस सम्बन्ध में कम्पनी द्वारा इसकी वेबसाइट पर डाले गए विवरणों को ही नियमों के अनुसरण में शेयरों को आईईपीएफ प्राधिकरण में अन्तरण के उद्देश्य से कम्पनी द्वारा डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के सम्बन्ध में पर्याप्त सूचना मानी जाएगी। यदि शेयर डी-मैट रूप में धारित हैं और अन्तरित किए जाने हैं तो कम्पनी निगमित कार्यवाही द्वारा इन शेयरों को आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खातों में अन्तरित कर देगी।

वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए 18 जुलाई, 2012 को शेयरधारकों द्वारा 10% की दर से लाभांश की घोषणा की गई थी। वित्तीय वर्ष 2011-12 के अदावाकृत/अप्रदत्त लाभांश 17 अगस्त, 2019 (7 वर्ष पूरे होने की तारीख) को आईईपीएफ में अन्तरित किए जाने होंगे। जिनके विवरण कम्पनी की वेबसाइट के ऊपर दिए गए लिंक पर उपलब्ध हैं। यदि कम्पनी/रजिस्ट्रार व ट्रांसफर एजेंट को वित्तीय वर्ष 2011-12 और उसके बाद के अप्रदत्त लाभांश के लिए शेयरधारकों से 16 अगस्त, 2019 तक कोई दावा/आवेदन प्राप्त नहीं होता है, तो शेयर आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में अन्तरित कर दिए जाएंगे। एक बार यदि शेयरों को आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में अन्तरित कर दिया जाता है तो उन शेयरों पर प्रोदभूत सभी लाभ भी आईईपीएफ प्राधिकरण के पक्ष में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। अप्रदत्त लाभांश और/या शेयरों का दावा शेयरधारकों द्वारा नियमों में निर्धारित अपेक्षित प्रक्रिया को अपनाते हुए किया जा सकता है।

उक्त मामले पर किसी स्पष्टीकरण या पूछताछ के लिए, शेयरधारक कम्पनी को आईएफसीआई लिमिटेड, आईएफसीआई टावर, 61 नेहरु प्लेस, नई दिल्ली - 110 019; फोन 011-41732000; ई-मेल: **complianceofficer@ifciltd.com** पर सम्पर्क कर सकते हैं या कम्पनी के रजिस्ट्रार व ट्रांसफर एजेंट अर्थात् मैसर्स एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लि., एफ-65, प्रथम मंजिल, ओखला इण्डस्ट्रियल एरिया, फेज-I, नई दिल्ली-110020; फोन 011-41406149/51/52; ई-मेल: **admin@mcsregistrars.com; helpdeskdelhi@mcsregistrars.com** से सम्पर्क कर सकते हैं।

कृते आईएफसीआई लि.
ह.
(रूपा सरकार)
कम्पनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 09 मई, 2019